अहमदाबाद में तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह का पकड़ा जाना

2659. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री महेन्द्र माझी :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क और आयकर अधिकारियों ने अक्तूबर, 1970 में अहमदाबाद में छापा मार कर अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह को पकड़ा था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनसे बरामद होने वाले समान की कीमत क्या थी तथा कितने लोगों को बन्दी बनाया गया ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). सीमा शुल्क तथा आय-कर प्राधिकारियों ने अक्तूबर 1970 में अहमदाबाद में कुछ भवनों की संयुक्त रूप से तलाशी ली, जिसके परिणामतः कुछ दास्तावेज, लेखा-पुस्तिकाएं, 3·4 लाख रुपये की रकम की भारतीय मुद्रा तथा 1 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य की चांदी पकड़ी गई। कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं। पकड़े गये दस्तावेज तथा लेखा पुस्तिकाओं की छान-बीन की जा रही है। जाँच पड़ताल के परिणामों को देखते हुए संगत कानूनों के अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी।

भारत में तस्कर व्यापारी

2660. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तस्कर व्यापारियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) देश में बढ़ते हुए तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). देश में तस्कर व्यापारियों की कार्य-प्रणाली का, तस्कर आयात निर्यात विरोधी कार्य में लगे अधिकारियों द्वारा सतत अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं का तस्कर आयात-निर्यात आमतौर पर अपने पास/असबाब में, डाक पार्सलों में/वायुयानों, जहाजों, वाहनों, तेज चलने वाली नौकाओं तथा देहाती नौकाओं आदि में छिपाकर किया जाता है। देश में विदेशी वस्तुओं के तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं —

सुव्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्रतट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इन उपायों की सतत समीक्षा की जाती है।

Overdrafts by States

2661. SHRI R. R. SINGH DEO :
SHRI D. N. PATODIA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :